

प्रेस नोट थाना बासगांव जनपद गोरखपुर दिनांक 18.01.2021

आई टी एक्ट में एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण(दक्षिणी) श्री अरुण कुमार सिंह पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी बांसगांव श्री नितेश सिंह के निकट मार्गदर्शन में रात्रिगस्त व संदिग्ध व्यक्तियों वाहनो की चेकिंग करता हुआ क्षेत्र मे मामूर था कि मुखबीर खास आकर मिला और बताया कि साहब थाना गगहा पर पंजीकृत मु0अ0स0 23/2021 धारा 506,420 भादवि व 66आईटी एक्ट की विवेचना आप कर रहे है उस मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त रंजीत यादव जो विहार का रहने वाला है कही भागने के फिराक मे कौडीराम बाजार मे गजपुर तिराहे के पास खडा है सूचना पर हम पुलिस वाले जैसे ही गजपुर तिराहे के पास पहुचे कि हम पुलिस वालो को देखकर उक्त व्यक्ति गजपुर के तरफ भागने का प्रयास किया कि हम पुलिस वालो ने उस व्यक्ति को 40-50 कदम जाते जाते एक बारगी की दबिश देकर हिकमत अमली से घेरघार कर समय करीब 07.20 बजे पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम रंजीत यादव पुत्र स्व0 दामोदर यादव निवासी ग्राम महुगांम पोस्ट बटिया थाना सोनो जिला जमुई प्रान्त बिहार बताया । जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताते हुए बाजाफता बाकायदा समय करीब 07.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया दौरान गिरफ्तारी मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया ।

पंजीकृत किये गये अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 23/2021 धारा 420,506 भादवि व 66 आईटी0 एक्ट बनाम रंजीत यादव उपरोक्त नाम पता अभियुक्तगण-

1-रंजीत यादव पुत्र स्व0 दामोदर यादव निवासी ग्राम महुगांम पोस्ट बटिया थाना सोनो जिला जमुई प्रान्त बिहार

गिरफ्तारी का समय व स्थान-

दिनांक 18.01.2020 समय 07.20 बजे गिरफ्तारी का स्थान – गजपुर तिराहा कौडीराम 6 किमी पूर्व

बरामदगी-

1. एक अदद एन्ड्रायड मोबाईल VIVO A1 TRIPLE CAMERA
गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक जगत नारायण सिंह
2. मुख्य आरक्षी राम अवध यादव
3. आरक्षी अभिषेक कुमार
4. आरक्षी अनिल सिंह